पत्र संख्या–सी0आर0को0–105 / 2017................../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

भीम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निबंधित / स्पीड पोस्ट

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–

विषय :–बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report) आलेखन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–7744 दिनांक–30.04.1979 तथा विभागीय (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का) संकल्प सं0– 21पी0एस0 / 87 –का0–4561 दिनांक–22.05.1987 के क्रम में विभागीय पत्रांक–12981 दिनांक–31.12.2009 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का दिनांक–01.04.2010 (वित्तीय वर्ष 2010–11) के प्रभाव से कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन संबंधी दिशानिर्देशों को लागू किया गया है, किन्तु कतिपय ऐसे प्रावधान जिनका निर्धारण पूर्व में नहीं हो पाया था, को SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) System के अन्तर्गत पी0ए0आर0 ई–फाईलिंग (PAR e-filing) हेतु शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए निम्नरूपेण कार्रवाई की जायेगी :–

(i). बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) स्वीकरण प्राधिकार के स्तर से आलेखित होने के उपरांत पूर्ण पी0ए0आर0 को विभाग के स्तर से प्रतिवेदित पदाधिकारी को उनसे मंतव्य प्राप्त करने के निमित 15 दिनों के अन्दर Disclose (प्रकट) किया जायेगा। प्रतिवेदित पदाधिकारी पी0ए0आर0 Disclose होने के 15 दिनों के अन्दर अपने मंतव्य से विभाग को अवगत करायेंगे। निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत मंतव्य अप्राप्त रहने की स्थिति में यह समझा जोयगा कि प्रतिवेदित पदाधिकारी पी0ए0आर0 में अंकित अभ्युक्ति से सहमत है तथा पी0ए0आर को पूर्ण मानते हुए इसे अभिलेख स्वरूप संधारित कर दिया जायेगा।

(ii). पी0ए0आर0 में अंकित अभ्युक्ति से असहमति की स्थिति में प्रतिवेदित पदाधिकारी निर्धारित समय–सीमा 15 दिनों के अन्दर अपना अभ्यावेदन (Representation) विभाग को समर्पित करेंगे। प्रतिवेदित पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन पर एक माह के अन्दर विभाग द्वारा प्रतिवेदक / समीक्षी / स्वीकरण प्राधिकार से मंतव्य प्राप्त कर अभ्यावेदन पर लिये गये निर्णय से प्रतिवेदित पदाधिकारी को अवगत करा दिया जायेगा।

(iii). अभ्यावेदन पर विभाग द्वारा लिये गये निर्णय से असहमति की स्थिति में प्रतिवेदित पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर अपना अभ्यावेदन Referral Borad के समक्ष समर्पित

कर सकेंगे अन्यथा यह समझा जायेगा कि प्रतिवेदित पदाधिकारी विभागीय निर्णय से सहमत है।

उपर्युक्त सभी में रेफरल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

(iv). विभिन्न स्तरों पर पी0ए0आर आलेखन की कार्रवाई किये जाने हेतु निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत अभ्युक्ति आलेखित नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा पी0ए0आर0 अगले प्राधिकार को Force Forward कर दिया जायेगा।

(v). बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का निम्नांकित परिस्थितियों में भी पी0ए0आर0 Generate होगा जिसमें स्थिति के अनुसार निम्नलिखित आशय का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

(क) एन0आर0सी (No Report Certificate)

- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि।
- निलम्बन अवधि।
- पी0ए0आर0 आलेखन हेतु निर्धारित न्यूनतम 90 दिनों से कम की अवधि।

(ख) प्रशिक्षण अवधि।

(ग) छुट्टी।

(vi). SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) System के तहत पी0ए0आर0 ई–फाईलिंग (PAR e-filing) की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रभाव से लागू किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों से अपने अधीनस्थ कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(भीम प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–सी0आर0को0–105/2017/सा0प्र0– **दिनांक–**......................

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–सी0आर0को0–105/2017/सा0प्र0– **दिनांक–**......................

प्रतिलिपि–सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिवों को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–सी0आर0को0–105/2017/सा0प्र0– 16389 **दिनांक–**14.12.18

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/12/18
सरकार के संयुक्त सचिव।